“ लगभग 95% मतदान का नया तरीका खोज निकाला ”

सत्यप्रकाश रेशू

“ भारत में 90 से 95 प्रतिशत वोटिंग अब संभव ”

विश्व मे सबसे बडें लोकतन्त्र के सबसे बडे महाकुम्भ “ **आम चुनाव** ” से हिन्दुस्तान की आम जनता के साथ साथ उन वोटरो के मन में कई प्रकार के प्रश्न हैं जो लोकतन्त्र के सबसे बडे स्तम्भ “ **संसद, विधानसभा, नगर निगम, नगरपालिका आदि** ” में अपने क्षेत्र के विकास हेतु जनप्रतिनिधि चुनने को मतदान करते हैं ! उनमें से ज्यादातर वोटरो के मन में अब अनेक प्रकार के अत्याचार, भ्रष्टाचार, नेतागिरी व तानाशाही से तंग आकर संघर्ष, आन्दोलन, विरोध, प्रतिकार, सत्याग्रह या महासंघर्ष करने की बात आती हैं, साथ ही वोटरो के साथ साथ जनता के मन में भी यह बात आने लगी कि नेताओं की तरह हमें भी सीधे रूप में वोट का लाभ मिलना चाहिये ! जिसे सबसे मजबूत, सच्चाई व वास्तविकता के आधार पर संक्षिप्त शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि **“ वोट के बदले नेताओं को राजगद्दी, वोटर को क्या मिलता हैं ” ?** जिसका उत्तर आता हैं कि वास्तव में वोटर को सीधे रूप से जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, जिस कारण लगभग 40% वोटर **(चुनाव आयोग की ड्यूटी दे रहे वोटर, पत्रकार, सैना, पुलिस, प्रशासन, साधु समाज, वृद्ध, बीमार, अनपढ़, किसान–मजदूर, सांसद, विधायक, इमरजेन्सी सेवारत वोटर, व्यापारी, उद्योगपति, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले वोटर, आवश्यक पब्लिक सेवा में कार्यरत वोटर, वोट का महत्व न समझने वाले वोटर, अपने वोटिंग क्षेत्र से बाहर रह रहे वोटर, मतदान की सही जानकारी न रखने वाले वोटर, भय के कारण मतदान न कर पाने वाले वोटर, वोट से ज्यादा अन्य कार्यो को महत्व देने वाले वोटर आदि)** मतदान नही कर पाते ! जो लगभग 60% वोटर मतदान कर पाते हैं उसमें से लगभग 25% को वोट का मतलब मालूम नहीं होता, 15% - 20% ठप्पा होता हैं, जिसका कहीं कोई महत्तव नही समझा जाता अर्थात् अपना विवेक प्रयोग करे बिना ही एक दूसरे के कहने या जीत की हवा देखकर मतदान करते है। शेष लगभग 15% लोग मात्र 8-10 घंटे की मतदान करने की

क्रमशः.... 2

अवधि में पूरे देश / प्रदेश / क्षेत्र का भविष्य तय कर देते हैं ! जिससे चुनाव परिणाम आने पर नेताओं को सीधी राजगददी मिलती हैं व वोटर को कुछ नहीं मिलता ! तो **" वोटर के मन में आता हैं क्यों न हो एक और सत्याग्रह - एक और महासंघर्ष "** जिससे वोटर को मतदान के अपने कर्तव्य के साथ ही बहुत कुछ पाने का अधिकार भी मिलें !

जब बात सत्याग्रह व महासंघर्ष की हो तो देश के महान अनगिनत महापुरूषों, शहीदों व विद्वानों को याद करते हुए वोटर को वोट के बदले क्या मिलें, क्यो मिलें, कैसे मिले जैसे प्रश्नों का उठना व उन प्रश्नों के उत्तर मिलना स्वाभाविक हैं ! लेकिन हमें इससे पहले अध्ययन करना हैं कि विश्व के सबसे बडे लोकतांत्रिक देश हिन्दुस्तान के लोकसभा / विधानसभा आदि चुनाव को ध्यान में रखकर अलग - अलग विद्वानों के, अलग - अलग मनो के, अलग - अलग विचार हैं जिनमें से कुछ के विचार बहुत वास्तविक एवं स्पष्ट रूप से मन को छु जाने वाले जन उपयोगी हैं क्योकि वे विचार सुदृढ, पारदर्शी, **सबका साथ सबका विकास** के साथ - साथ हिन्दुस्तान को विश्व महाशक्ति बनाने के लिए जागरूक करते हैं ! जिस **' विश्व महाशक्ति '** बनने की विचारधारा को विश्व समुदाय भी मान रहा हैं !

परन्तु प्रश्न उठता हैं कि **क्या इस लोकतंत्र में स्वतंत्रता के तुरन्त बाद जिस समझदारी सूझबूझ एवं उस समय की परिस्थिति में संविधान के ज्ञाताओं द्वारा ब्रिटिश संविधान को भारतीय संविधान में लगभग कोपी करके लागू कराया, क्या यह वर्तमान समय में उचित हैं**! उत्तर बडा साफ एवं स्पष्ट हैं **" बिल्कुल नहीं "** क्योकि जिस देश की गत 68 वर्षो से आर्थिक स्थिति, राजनेताओं की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, शासन तन्त्र की स्थिति के साथ - साथ अन्य स्थिति व जरूरत भी बदल गई हो तो उसका अपना नया संविधान होना जरूरी हैं ! जैसा कि अनेक देशो ने अपनी आजादी के बाद अपने संविधान बनायें !

क्रमशः.... 3

फिर प्रश्न उठता हैं कि **संविधान कौन बदले** ! उत्तर - **" संविधान सरकार बदले "** ! परन्तु सरकार अपने छोटे - बडे हितो में इस प्रकार उलझो हैं कि उसे कभी सोचने का मौका ही नहीं मिलता ! यदि न्यायालयों की बात करें तो उनके क्षेत्र में संविधान बदलना नहीं बल्कि संविधान का पालन करना हैं ! अन्त में जीता जागता एक उत्तर आता हैं **' चुनाव आयोग '** अर्थात् आम जनता का मानना हैं कि चुनाव आयोग बहुत कुछ कर सकता हैं, जिसकी जनसाधारण को तुरन्त आवश्यकता भी हैं ! वह क्या हैं जिसकी जनसाधारण व देश को तुरन्त आवश्यकता भी हैं !

वह हैं Right Voter जो लगभग 40% हैं व मतदान नहीं कर पाते ! उनमें मुख्य रूप से **चुनाव आयोग की डयूटी दे रहे वोटर, पत्रकार, सेना, पुलिस, प्रशासन, साधु समाज, वृद्ध, बीमार, अनपढ़, किसान–मजदूर, विद्यार्थी, सांसद, विधायक, इमरजेन्सी सेवारत वोटर, व्यापारी, उद्योगपति, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले वोटर, आवश्यक पब्लिक सेवा में कार्यरत वोटर, वोट का महत्व न समझने वाले वोटर, अपने वोटिंग क्षेत्र से बाहर रह रहे वोटर, गर्मी - सर्दी -बरसात से डरने वाले वोटर, मतदान की सही जानकारी न रखने वाले वोटर, भय के कारण मतदान न करने वाले वोटर, वोट से ज्यादा अन्य कार्यो को महत्व देने वाले वोटर आदि है** !

इनमें वह प्रबुद्व वर्ग भी है जिसे वोट डालने में कोई फायदा नजर नहीं आता और चुनाव महोत्सव में भाग लेने की अपेक्षा Holiday मनाना या Holiday में Pending काम निपटाना ज्यादा बेहतर समझता हैं या फिर वह अपने Voting Station से इतना दूर होता हैं कि वहां पहुँचकर मतदान करना उसके लिए अत्यन्त असुविधाजनक या असम्भव हैं! इसका हल हैं **" बहुउददेशीय वोटर कार्ड "** क्योकि कोई भी चुनाव आते ही नये नये नियम व कानून सुनने को मिलने लगते हैं ! वोटर, वोट, वोटर - कार्ड की बात हर जगह होने लगती हैं ! प्रशासन चुस्त हो जाता हैं, पुलिस अपना काम कई अधिक सक्रियता से निडरतापूर्वक करने लगती हैं ! तो नया संविधान व नया बहुउददेशीय वोटर - कार्ड देश हित में क्यों नहीं बनना चाहिए ! जवाब आता हैं हॉ, बनना चाहिए!

क्रमशः.... 4

जिसकी सही शुरूआत **" चुनाव आयोग "** की पहल पर वोटर - कार्ड को बहुउददेशीय वोटर कार्ड में तब्दील करके की जा सकती हैं ! जिस बहुउददेशीय वोटर - कार्ड को मोबाईल सिम की तरह सभी मोबाईल/सॉफ्टवेयर कम्पनी आसानी से निर्माण करके कियान्वित करने में सक्षम हैं ! जिससे नेताओं को वोट के बदले राजगददी, वोटर को क्या मिलता हैं वाला भ्रम टूट जायेगा व राजनेताओं की तरह वोटर को भी सीधे तौर पर बहुत कुछ मिलने लगेगा !

हम प्रणाम करते हैं संविधान रचियता डा0 भीमराव अम्बेडकर व पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी को, जिन्होनें आम जनता में से 18 वर्ष व अधिक के नागरिको को वोट डालकर अपना प्रतिनिधि चुनकर देश के चंहुमुखी विकास के लिए संविधान में व्यवस्था की ! जिससे जनप्रतिनिधियों के रूप में हर क्षेत्र से जनप्रतिनिधी जा सकें एवं जन साधारण की हर समस्या को ध्यान में रखकर देश के चहुंमुखी विकास के लिए लोकसभा व विधानसभा आदि में प्रतिनिधित्व कर सकें !

परन्तु देश के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर ऐसा नहीं हुआ ! क्योकि ज्यादातर नता वोटरो को बहकाकर, स्वार्थ-सिद्वी, धन-संग्रह, परिवारवाद, गुण्डागर्दी, जातिवाद जैसे घृणित कार्यो में लग गये ! तो वोटरो के पक्ष पर चिंतन करक **अनेक विद्वानों के साथ सत्यप्रकाश रेशू ने शोध किया** कि वोट के बदले वोटर को भी बहुत कुछ मिलना चाहिये ! फिर प्रश्न उठता हैं कि वोटर को क्यों, क्या, कैसे मिलें ?

<u>वोटर को वोट के बदले क्यों मिले</u> :-

जब किसी जनप्रतिनिधि को एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मन्त्री, सांसद, विधायक या अन्य किसी पद की राजगददी वोटर की वोट से मिल सकती हैं, या कहिये जब एक नेता को वोटर की वोट के बदले जनप्रतिनिधी के रूप में राजगददी, सम्मानित पद, सुख-सुविधा, ऐशो-आराम, आर्थिक उपलब्धता सीधे रूप से हो सकती हैं तो इस देश को कियाशील करने वाले हर वर्ग के वोटर को बहुउददेशीय कार्ड से बहुत कुछ मिलना चाहिए ! जो बहुउददेशीय कार्ड दिलाना चुनाव आयोग व

<u>कमशः.... 5</u>

सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी हैं ! जिसे मोबाईल/सॉफ्टवेयर कम्पनियॉ बिना किसी रूकावट के बहुत आसानी से बनाकर वाटर को उपलब्ध कराने में सक्षम हैं ! आज के आई0टी0 युग में तो हर वोटर अपने मोबाइल नम्बर से भी अन्य कार्यो की तरह मतदान कर सकता है। वह बहुउददशीय कार्ड **" आधार कार्ड "** भी हो सकता हैं !

तो फिर प्रश्न उठा **वोटर को नये बहुउददेशीय कार्ड से वोट के बदले क्या मिलें, कैसे मिले!** जिससे देश के आम चुनाव से तुरन्त नेताओं की तरह सभी वोटरो को भी सीधे लाभ हो ! पहले हम नये बहुउददेशीय वोटर कार्ड से सभी को तुरन्त होने वाले लाभों की चर्चा करते हैं ! वे हैं आम चुनाव में वर्तमान खर्च से मात्र 20 प्रतिशत खर्च पर, बिना पुलिस, बिना छुटटी, बिना लडाई, बिना मारकाट, 90 से 95 प्रतिशत सही वोटिंग, हर जगह हर वर्ग के लिए बहुत आसानी से सम्भव हो सकता हैं ! तो **" क्यो ना हो बहुउददेशीय वोटर कार्ड के लिए एक और सत्याग्रह एक और महासंघर्ष "** की शुरूआत ! चुनाव आयोग के माध्यम से नया वोटिंग सिस्टम अवश्य अपनाया जाये।

क्रमशः.... 6

बहुउददे्शीय वोटर कार्ड क्या हैं :-

बहुउददे्शीय वोटर कार्ड एक ऐसा कार्ड हैं जो अन्य कार्डो की तरह मोबाईल के सिम के रूप में वोटर के पास सुरक्षित पैक में हो ! जिसके उपर मैनूअल वोटर की डिटेल हों व साथ - साथ सिम के अन्दर पूरा वोटर का रिकार्ड हो अर्थात् उसका नाम, पता, परिवार का संक्षिप्त विवरण मय फोटो आदि के ! ताकि उस कार्ड से वोटर कही भी रहते हुए वोट 8 घंटे के स्थान पर 24 से 48 घंटे में, कभी भी अपनी इच्छानुसार, बिना काम छोडे, बिना भय के, बिना किसी दबाव क अपनी डयूटी पर रहते हुए मतदान कर सकें !

जैसे आज हम अपनी पसन्द व इच्छा से कोई भी SMS मोबाईल से करके टी0वी0 सीरियल में मत करते हैं या पे0टी0एम0 द्वारा भुगतान करते हैं या वॉटसऐप द्वारा अनेक आदान प्रदान करते हैं ! उसी प्रकार बहुउददेशीय वोटर कार्ड को चुनाव आयोग द्वारा किसी भी चुनाव में वोट करने के लिए दो दिन के लिए या आवश्यकतानुसार खोल दिया जायेगा ! जिसमें चुनाव के 15 दिन पूर्व से क्षेत्र के हर प्रत्याशी की डिटेल जैसे. नाम, चुनाव चिन्ह - पार्टी का नाम आदि हो तथा वोटर अपनी इच्छा से प्रत्याशी का इतिहास पढकर केवल एक ही वोट कर सकता हैं ! जिन वोटरो के पास मोबाईल नहीं हैं वह सरकारी बूथ पर जाकर चुनाव आयोग की मदद से अपनी इच्छानुसार मतदान कर सकते हैं ! कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के वोटर कार्ड का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता ! क्योकि यह अंगूठे के निशान या आंखो की पुतली या हस्ताक्षर या कोड नम्बर से ऐक्टीवेट होगा। जिनमें से किसी दो / तीन का एक साथ मिलना जरूरी होगा।

कमशः.... 7

<u>वोटर ऐपस</u> :- वर्तमान युग में चुनाव आयोग हर वोटर के लिए हर भाषा में चुनाव ऐप भी बना सकता हैं ! जो हर वोटर के लिए चलाना व मतदान करना बहुत आसान कर देगी ! बहुउददेशीय वोटर कार्ड विधि हर पार्टी व उसके पदाधिकारी को इस लिए पसन्द हैं क्योकि वे स्वयं आई0टी0 / मोबाईल / कम्प्यूटर / नेट / क्रैडिट कार्ड / डेबिट कार्ड / बैंक एकाउन्ट आदि सिस्टम अपनाते हैं ! जो हर स्तर पर ठीक हैं ! इसलिए वोटिंग सिस्टम में कोई हेरा फेरी सम्भव नही हैं !

संक्षिप्त में बहुउददेशीय वोटर कार्ड का मतलब एक ऐसे कार्ड से है जो भारत में जन्म लेते ही अस्पताल में या सम्बन्धित पालिका से या सम्बन्धित क्षेत्र के किसी भी कार्यालय से माता - पिता के फोटो के साथ बच्चे के परिचय पत्र के रूप में रहेगा जैसे जन्म प्रमाण पत्र रहता है ! जिसे तुरन्त किसी भी मोबाईल/सॉफ्टवेयर कम्पनी के सहयोग से बनाया जाना सम्भव हैं ! इस बहुउददेशीय वोटर कार्ड को परिचय पत्र के रूप के साथ - साथ स्कूल में पढने से लेकर जीवन में अनेको जगह काम में लिया जा सकता हैं ! जिस पर उसका फोटो जन्म से 3 वर्ष तक हर 6 मास बाद व उसके बाद हर 3 से 5 साल बाद पुराने फोटो के साथ साथ नया फोटो भी लगा दिया जायेगा तथा 18 वर्ष के बाद स्वतः ही वोटिंग कार्ड का काम भी यही बहुउददेशीय वोटर कार्ड करेगा ! जैसा कि अब बैंक जैसी कई संस्थाओं में होना भी शुरू हो गया हैं !

अब प्रश्न उठता हैं कि **बहुउददेशीय वोटिंग कार्ड का और क्या लाभ हो सकते हैं !** इस I.T. के युग में बहुउददेशीय वोटर कार्ड से कोई भी कार्य करक पहचान पत्र के रूप में इसी कार्ड को प्रस्तुत किया जा सकता हैं तथा कोई भी व्यक्ति चाहे सेना में हों, चाहे सरकारी डयूटी पर हा, चाहे चुनाव की डयूटी पर हो, चाहे पहाड में रहता हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विदेश में हों या कोई भी वाटर किसी भी कार्य में व्यस्त हों !

<u>कमशः.... 8</u>

चुनाव के दिनों में उसका इस बहुउददेशीय वोटर कार्ड से पूरे देश के साथ - साथ अपने क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों की सूची उपलब्ध होगी ताकि वह अपनी इच्छानुसार उम्मीदवार व पार्टी को 8 / 10 घंटे के स्थान पर 24 से 48 घंटे में बिना किसी को बतायें, बिना किसी दबाव के, बिना किसी मारकाट के, बिना किसी भागदौड के, बिना किसी पक्षपात के SMS या Paytm जैसी पद्वति से अपना मतदान कर सकें ! जिसके लिए चुनाव आयोग को प्रचार–प्रसार करना अति आवश्यक होगा।

अब प्रश्न उठता हैं कि **जो लोग अनपढ हैं या मोबाईल नही रखते वो इस बहुउददेशीय वोटर कार्ड को कैसे अपनाऐगें !** जो लोग अनपढ हैं या मोबाईल नहीं रखते उनके लिए ओर भी आसान होगा कि जिस ढंग से अभी उनका वोटर कार्ड बना हैं वह अब से बेहतर ढंग से बन जायेगा तथा वे लोग जब अपना बहुउददे्शीय वोटर कार्ड लेकर किसी सरकारी बूथ पर वोट डालने जायेगें या सरकारी व्यवस्था अनुसार पोलियो की दवाई की तरह उनके यहां कोई वोट डलवाने आयेगा तो वोटर कार्ड को वोट के प्रयोग से पहले पूरी चैकिंग के बाद उसका अंगूठा, आंखो की पुतली व हस्ताक्षर भी वोट करने में मदद करेगी ताकि अन्य कोई व्यक्ति किसी अन्य का वोटर कार्ड लेकर वोट न डाल सकें! इससे लगभग 90% से 95% तक ठीक वोटिंग बिना धर्म एवं जाति के आधार पर देश के चहुंमुखी हित में ही होगी।

जहां तक भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद का विवरण हैं जिसमें कहा गया हैं कि वोटर को वोट के बदले कोई लालच नहीं होगा अर्थात् कुछ नहीं मिलेगा ! उसको अब समय की मांग के अनुसार बदलना हागा ! जिससे भारतीय व्यवस्था को चलाने वाले 60 प्रतिशत वोटर स्वयं 90% से 95% तक मतदान करने लगेगें ! जिससे वोटिंग व्यवस्था का मूलभूत अन्तर स्वयं दिखेगा ! इसी व्यवस्था से भ्रष्ट्राचार समाप्त होगा ! 400 लाख करोड विदेशो में जमा धन वापस आ जायेगा ! भारत विश्व महाशक्ति बन जायेगा !

क्रमशः.... 9

अब **वोटर को वोट के बदले क्यों के बाद क्या मिलें का प्रश्न उठता हैं** ! लेखक के शोध के अनुसार वोटर को बहुउददेशीय वोटर कार्ड के माध्यम से उदाहरण के तौर पर उसके कारोबार में **सुविधा**, **रेलवे रिर्जेवेशन सुविधा, शिक्षा सुविधा, मकान निर्मित करने में सुविधा, मेडिकल सुविधा, वृद्वा पेशंन सुविधा** आदि उपलब्ध होनी चाहिये ताकि इस I.T. के युग में किसी भी कार्यालय में किसी भी वोटर को कोई भी रिकार्ड लेकर जाना न पडें व सरकारी विभाग द्वारा उसी के इस बहुउददेशीय कार्ड से कम खर्च पर सारी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकें ! क्योकि वोटर को तो अपने मूल जीवन में सीधे रूप से हो रहे लाभ मतदान करने के लिए अवश्य आकर्षित करेगें! जो सरकार व चुनाव आयोग का मुख्य एजेन्डा भी हैं !

क्यों मिलें, क्या मिले के बाद कैसे मिलें :

अब प्रश्न उठता हैं **कि वोटर को वोट के बदले कैसे मिलें** ता शोधकर्ता ने कई चुनाव विशेषज्ञयों एवं I.T. इण्डस्ट्री के विद्वानों के साथ सोफटवेयर बना रहे इंजीनियरों एवं मोबाईल कम्पनियों से बात करके पाया कि आज इस देश के अन्दर आम चुनाव के लिए ऐसे कई सोफटवेयर तैयार किये जा सकते हैं जिनके माध्यम से लगभग 100 प्रतिशत सही वोटिंग होगा ! जैसें SMS से होता हैं, मोबाईल पर बात व मोबाईल के सिम को किसी भी बात के लिए एक्टीव या नोन एक्टीव किया जा सकता हैं जिससे कम समय में कम खर्च पर बहुत कुछ आसानी से मिलना सम्भव होगा ! बहुउददेशीय वोटर कार्ड से वोटर का रिकार्ड देखकर अनेक सुविधाएं दी जा सकेगीं ! जिससे वोटर वोट गेरने को लालायित होगा व उसे भी नेताओं की तरह उपरोक्तानुसार सीधी सुविधाएं मिल जायेगी !

मतदान न करने वालो पर दण्ड क्यों :-

हम अखबारो में अनेक लोगों की ऐसी राय पढते रहते हैं जहां पर वोट न डालने जाने वालो को दण्डित करने की बात, सुविधा न देने की बात जैसी अनेक बात मिलती हैं ! जिसके लिए भारत की उस व्यवस्था का अध्ययन करना जरूरी हैं, जिससे वोटर इच्छा होते हुए व चुनाव आयोग की व्यवस्था होते हुए भी मतदान नही कर पाता, चाहें वह पोस्ट वोट की व्यवस्था क्यों ना हों ! **(मुख्यतः चुनाव आयोग की डयूटी दे रहे वोटर, पत्रकार, सेना, पुलिस, प्रशासन, साधु समाज, वृद्ध, बीमार, अनपढ़, किसान–मजदूर, सांसद, विधायक, इमरजेन्सी सेवारत वोटर, व्यापारी, उद्योगपति, वोटर लिस्ट से नाम गायब होने वाले वोटर, आवश्यक पब्लिक सेवा में कार्यरत वोटर, वोट का महत्व न समझने वाले वोटर, अपने वोटिंग क्षेत्र से बाहर रह रहे वोटर, मतदान की सही जानकारी न रखने वाले वोटर, भय के कारण वोट न डालने वाले वोटर, वोट से ज्यादा अन्य कार्यो को महत्व देने वाले वोटर आदि मतदान नही कर पातें)** क्योकि अनेक वोटर सैनिको के रूप में देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे होते हैं, अनेक पुलिसकर्मी वोटर कानून व्यवस्था में लगे होते हैं, अनेक अधिकारी वोटर सरकारी काम काज को पूरा कराने में लगे होते हैं, अनेक वोटर कर्मचारी चुनाव को सुचारू रूप से कराने की प्रकिया में लगे होते हैं ! अनेक कमजोर वोटर दबंगो के कारण वोट डालने नहीं जाते, अनेक बुजुर्ग वोटर पहाड व पिछडे क्षेत्र में रहने के कारण वाहन व्यवस्था के अभाव में मतदान नही कर पाते, कुछ लोग व्यवस्था से खिन्न होकर मतदान करने नहीं जाते आदि.... ! इसलिए किसी भी वोटर को दण्ड देने के स्थान पर सुविधायें देकर आकषित करना बेहतर होगा !

क्रमशः.... 10

<u>प्रत्याशी का विकास दृष्टिकोण</u> :-

जिस दृष्टिकोण से चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्चे, सम्पत्ति, पूर्व इतिहास आदि का स्पष्टीकरण भरवाया, उसी दृष्टिकोण से प्रत्याशी से अपने क्षेत्र के प्रति विकास की रूपरेखा का दृष्टिकोण भी लिखित रूप में स्पष्ट कराया जायें !

शोधकर्ता के आधार पर भारत में बहुत शीघ्र वह समय आने वाला हैं जब भारत के जन प्रतिनिधि के रूप में कामगार लोग पहुंचेगे तथा अपने क्षेत्र एवं वोटर की हर दुविधा का ध्यान रखते हुए ऐसे संविधान की रचना करेगें ताकि 80 प्रतिशत भारत का युवक जो झूठे वायदो के पीछे राजनेताओं के चक्कर काटता हैं, वह अपनी शक्ति (जनशक्ति, बौद्धिक शक्ति व धनशक्ति) को विश्व महाशक्ति बनाने में लगा देगा और उसी के परिणाम के तहत भारत पुनः विश्व महाशक्ति बन कर उभरेगा ! जिसके लिए नेताओं को वोट के बदले राजगददी, वोटर को क्या मिलता हैं जैसे विषय का सार्थक उत्तर चुनाव आयोग दे सकेगा।

सत्यप्रकाश ' रेशू '
रेशू चौक, रेशू विहार,
मुजफफरनगर - (251 001) उ0प्र0
मो0 9837058160,
Email- reshu.sprakash@gmail.com
www.satyaprakashreshu.co.in